राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3402/2023

फैली राम मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
3. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.12.2023
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.एन. मीणा, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी कानि. ड्राईवर के पद पर कार्यरत हैं। कानि. चालक की पदोन्नति कानि. चालक से हैड कानि. (एम.टी.), हैड कानि. (एम.टी.) से उप निरीक्षक (एम.टी.), उप निरीक्षक (एम.टी.) से निरीक्षक (एम.टी.), के पद पर पदोन्नत किया जाता है, जबकि सामान्य कानि, में पदोन्नति कानि. से हैड कानि., हैड कानि. से सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक, उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाता है अर्थात कानि चालक (तकनीकि ट्रेड) में सहायक उप निरीक्षक (एम.टी.) का पद नहीं होता है। पांचवे वेतन आयोग में तथा उससे पूर्व भी वेतनमान में 9 वर्ष की सेवा पर हैड कानि चालक के पद का तथा 18 वर्ष की सेवा पर उप निरीक्षक क पद का व 27 वर्ष की सेवा पर पुलिस निरीक्षक (एम.टी.) के पद का वेतनमान दिया जा रहा था, जबकि 6वें वेतनमान में आयोग द्वारा अगले पद का वेतन न देकर ग्रेड—पे का निर्धारतण कर 5—18—27 वर्ष का चयनित वेतनमान के स्थान पर ए.सी. पी. लागू कर 9—18—27 की ए.सी.पी. के आधार पर ग्रेड—पे के आधार पर ग्रेड—पे दिए जाने के आदेश प्रसारित किए गए हैं। जिसमें सामान्य कानि/कानि चालक का वेतनमान समान कर एक वेतनमान विसंगति छोड़ दी है। 6वें वेतनमान में विसंगति से सामान्य कानि व कानि चालक में कोई अंतर नहीं रह गया है। अपीलार्थी के समानान्तर अन्य कानि ड्राईवर जिनमें भंवर जालिम सिंह कानि चालक, अनिल राकेश कुमार दांताराम, ने माननीय राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर के समक्ष अपील पेश की थी। जो

माननीय टिब्यूनल द्वारा 31.07.2019 को स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को संशोधित चयनित वेतनमान देने का आदेश दिया गया, जिसके विरूद्ध राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन पेश की थी, जो दिनांक 30.01.2023 एवं अधिकरण द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए विभाग आदेश दिया गया कि कानि ड्राईवर को संशोधित वेतनमान क्रमशः 9 वर्ष सेवा पूर्ण पर रूपये 3600, 18 वर्ष पूर्ण करने पर रूपये 4200 तथा 27 वर्ष पूर्ण करने पर रूपये 4800, देने के आदेश हुये हैं एवं पूर्व में दी गई अतिरिक्त राशि को समायोजित को शेष राशि अपीलार्थीगण को दिए जाने के आदेश दिये हैं। जिनकी पालना में विभाग द्वारा दिनांक 27.07.2023 को आदेश पारित कर वेतन विसंगति को दूर करते हुए वसूली योग्य राशि को समायोजित कर बकाया राशि को दिए जाने का आदेश प्रदान किया हैं।

3. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 4200 एवं 27 वर्ष की सेवा पर 4800 ग्रेड–पे में वेतन निर्धारण किया जावे तथा अपीलार्थी को अन्य सभी पारिणामिक लाभों के साथ 18 प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान किया जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)